भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 661

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

<u>आम जनता के हितों की रक्षा किया जाना</u>

661. डा. आर. लक्ष्मणन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आम जनता को कारपोरेट धोखाधड़ी का आसान शिकार बनने से बचाने के उद्देश्य से उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा तंत्र मौजूद है जिसके माध्यम से कंपनियों के बारे में मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण किया जा सके और बड़े कारपोरेट घरानों पर बाजार संबंधी निगरानी रखी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : गंभीर धोखधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में एक बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (एमआरएयू) कार्यरत है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण और बाजार निगरानी करना है। एमआरएयू यह सूचना अन्य जांच एजेंसियों के साथ भी साझा करता है। एक फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना और उपयुक्त प्रौद्योगिकी व दक्ष तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करके इस एकक का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

*****